सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 114/14 **निर्णय दिनांकः**

1. रामचन्द्र पुत्र पूराराम जाति जाट निवासी लिखमीसर तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।

अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार पूगल

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 24—11—1999
सहायक उपनिवेशन आयुक्त छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः—

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 24—11—1999 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को बतौर विशेष आवंटन में आवंटन हेतु उपनिवेशन तहसील पूगल के चक 5 एनजीएम के मुरब्बा नम्बर 72/20 व 72/38 को विशेष आवंटन में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को मुरब्बा नम्बर 72/

38 दिनांक 15–07–1995 को व मुरब्बा नम्बर 72/20 दिनांक 18–09–1995 को उक्त रकबा आवंटन कर दिया गया। किन्तु उक्त रकबे को 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने के कारण खारिज कर दिया गया। जबकि अपीलांट आज दिन भी उक्त राशि जमा कराने को तैयार है। अपीलांट ने कभी भी उक्त राशि जमा कराने से इंकार नहीं किया। आवंटन पत्रावली में अपीलांट को नोटिस जारी किया जाना बताया गया है परन्तु उक्त नोटिस अपीलांट को तामील नहीं हुआ। अदालत मातहत का आदेश एवं आदेशिका एक साईक्लोस्टाईल आदेश है ऐसा आदेश आई ऑफ लॉ उचित नहीं है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का एक भी अवसर प्रदान नहीं किया गया है। इसप्रकार अदालत मातहत द्वारा बिना सुने एकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया जिसमें अपीलांट अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अदालत मातहत का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है।

अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन नियमों की पूर्णरूप से पालना नहीं की है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सुना जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

अभिभाषक अपीलांट ने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 24–11–1999 के विरूद्व अपील 28–04–2017 को पेश की है। जो करीब 16 वर्ष विलम्ब से पेश है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट को वादगत् भूमि के आवंटन पश्चात् निर्धारित राशि का 35 प्रतिशत राशि जमा करवाये जाने हेतु नियमानुसार नोटिस जारी किये गये है, परन्तु अपीलांट अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आया। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का

विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 24–11–1999 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील दिनांक 28–04–2017 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काऊन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) अपीलांट ने विशेष आवंटन के तहत चक 5 एनजीएम के मुरब्बा नम्बर 72/20 व 72/38 को विशेष आवंटन हेतु आवंटन कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को दिनांक

15–07–1995 को मुरब्बा नम्बर 72/38 व दिनांक 18–09–1995 को मुरब्बा नम्बर 72/20 का आवंटन करते हुए 35 प्रतिशत राशि जमा करवाने हेतु आदेशित किया गया।

(3) हमने पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को क्रमशः क्रमांक 401 दिनांक 17–01–1996, क्रमांक 5598 दिनांक 13–09–1996, क्रमांक 7256 दिनांक 30–07–1998 द्वारा 35 प्रतिशत राशि जमा करवाये जाने का नोटिस जारी किये गये। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के नोटिस क्रमांक 401 दिनांक 17–01–1996 की पालना में 35 प्रतिशत राशि जमा करवाये जाने का जारी चालान प्राप्त कर लिया गया। उक्त नोटिस की पालना न तो अपीलांट स्वयं उपस्थित आया ना ही चालान पेश किया। तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा क्रमांक 7256 दिनांक 30–07–1998 द्वारा पुनः नोटिस जारी किया गया कि वे आवंटन हेतु निर्धारित राशि अर्थात 35 प्रतिशत राशि जमा कराने हेतु उपस्थित हो, अन्यथा आवेदन पत्र खारिज कर दिया जायेगा।

(4) अपीलांट निर्धारित तिथि को आवंटन अधिकारी के समक्ष ना तो स्वयं उपस्थित हुआ व ना ही आवंटन हेतु निर्धारित राशि का 35 प्रतिशत राशि जमा करवाई गई। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट आवंटन कराने का इच्छुक नहीं रहा है। अतः ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने आवंटन सलाहकार समिति की राय से अपीलांट का आवंटन सही खारिज किया है जो विधि सम्मत है।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकाने का आदेश

दिनांक 24–11–1999 बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरेइजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर